इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25264-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४४ सन् २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५६ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि उपधारा (२) के अधीन विनिर्दष्ट उत्तरदायित्व नियत किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर, लेखा-पुस्तकें संधारित करने में और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, सोसाइटी के संचालक मण्डल का सदस्य होने के लिए निरर्हित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी प्राथमिक सहकारी साख संरचना का कोई कर्मचारी है तो उस पर पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए.".

धारा ८०-क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ८०-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अधीनस्थ अधिकारियों और सोसाइटी के संचालक मंडल की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

"८०-क. रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सोसाइटी के संचालक मण्डल के किसी विनिश्चिय या आदेश को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी या संचालक मण्डल की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा. यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपांतरित किया जाना चाहिए, बातिल किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उन पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु सहकारी साख संरचना की दशा में, रजिस्ट्रार के निष्कर्ष, सोसाइटी को संसूचित किए जाएंगे और सोसाइटी, इस प्रकार संसूचित सलाह को समिति के समक्ष अभिलेख में रखेगी और समुचित विनिश्चिय करेगी :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

किसी सहकारी साख सोसाइटी के संचालक मण्डल के किसी सदस्य को तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निरर्हित किए जाने के उपबंध को पुन:स्थापित करने की दृष्टि से, तथा प्राथमिक सहकारी साख संरचना के कर्मचारियों के लिए शास्ति की रकम को पांच हजार रुपये तक कम करने तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सुझाए गए वैद्यनाथन पैकेज के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के उपबंधों के अनुपालन में रजिस्ट्रार द्वारा, सहकारी साख सोसाइटियों को परामर्श देने का उपबंध करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं वाला यह विधेयक प्रस्तावित है:—

(१) निरर्हता के लिए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि का उपबंध करने और प्राथमिक सहकारी साख संरचना के कर्मचारी के लिए शास्ति की रकम कम करके पांच हजार रुपये करने के लिए धारा ५६ यथोचित् रूप से संशोधित की गई है.

(२) रजिस्ट्रार के निष्कर्षों को, समुचित विनिश्चय करने के लिए, सहकारी साख संरचना को संसूचित करने का उपबंध करने के लिए धारा ८०-क को यथोचित् रूप से संशोधित किया गया है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २४ नवम्बर सन् २०११

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.